

## कार्यालय पुलिस अधीक्षक जनपद गोण्डा दिनांक 19.12.2020

### शांतिभंग की आशंका के मद्देनजर पुलिस द्वारा की गयी कार्यवाही—

जनपदीय पुलिस द्वारा विभिन्न मामलों में शान्ति भंग की आशंका के मद्देनजर जनपद के विभिन्न थानों से कुल-23 व्यक्तियों को अन्तर्गत धारा-151/107/116 सीआरपीसी में गिरफ्तार कर चालान न्यायालय किया गया तथा भारी से भारी जमानत मुचलके से पाबन्द कराया गया।

### अवैध शराब के निष्कर्षण, बिक्री व परिवहन के विरुद्ध जनपदीय पुलिस द्वारा की गई कार्यवाही—:

#### 01. थाना नवाबगंज द्वारा की गयी कार्यवाही—

01. लकी पुत्र शिवपाल नि० दुर्गागंज माझा थाना नवाबगंज जनपद गोण्डा के कब्जे से 20 ली० अवैध कच्ची शराब बरामद कर मु०अ०सं०-514/20, 02. जग्गी लाल पुत्र भदई निषाद नि० लोलपुर थाना नवाबगंज जनपद गोण्डा के कब्जे से 40 ली० अवैध कच्ची शराब बरामद कर मु०अ०सं०-515/20, धारा 60 आबकारी अधि० के तहत अभियोग पंजीकृत कर कार्यवाही की गयी।

#### 02. थाना खोड़ारे द्वारा की गयी कार्यवाही—

01. सरजू प्रसाद पुत्र भगेलू नि० केशवनगर थाना खोड़ारे जनपद गोण्डा के कब्जे से 20 ली० अवैध कच्ची शराब बरामद कर मु०अ०सं०-316/20, धारा 60 आबकारी अधि० के तहत अभियोग पंजीकृत कर कार्यवाही की गयी।

#### 03. थाना को० देहात द्वारा की गयी कार्यवाही—

01. श्रीमती अनारपता पत्नी राम सागर नि० चिड़ियापुर थाना को० देहात जनपद गोण्डा के कब्जे से 10 ली० अवैध कच्ची शराब बरामद कर मु०अ०सं०-508/20, धारा 60 आबकारी अधि० के तहत अभियोग पंजीकृत कर कार्यवाही की गयी।

#### 04. थाना करनैलगंज द्वारा की गयी कार्यवाही—

01. वकील पुत्र बुद्धू नि० नई बाजार कटरा रोड थाना को० करनैलगंज जनपद गोण्डा के कब्जे से 10 ली० अवैध कच्ची शराब बरामद कर मु०अ०सं०-523/20, धारा 60 आबकारी अधि० के तहत अभियोग पंजीकृत कर कार्यवाही की गयी।

#### 05. थाना तरबगंज द्वारा की गयी कार्यवाही—

01. नीवर पुत्र सतीराम नि० भानपुर थाना तरबगंज जनपद गोण्डा के कब्जे से 20 ली० अवैध कच्ची शराब बरामद कर मु०अ०सं०-422/20, 02. विजय कुमार चौहान पुत्र स्व० भगवती चौहान नि० चारगाह थाना तरबगंज जनपद गोण्डा के कब्जे से 20 ली० अवैध कच्ची शराब बरामद कर मु०अ०सं०-423/20, धारा 60 आबकारी अधि० के तहत अभियोग पंजीकृत कर कार्यवाही की गयी।

## अवैध मादक पदार्थ के साथ, 01 अभियुक्त गिरफ्तार—

### गिरफ्तार अभियुक्त—

01. दिनेश कुमार पुत्र केशव प्रसाद नि० मुण्डेरवा माफी थाना इटियाथोक जनपद गोण्डा।

### पंजीकृत अभियोग—

01. मु०अ०सं०-453/20, धारा 8/22 एन०डी०पी०एस० एक्ट थाना इटियाथोक जनपद गोण्डा।

### बरामदगी—

01. 250 अल्प्रासेफ टेबलेट।

### संक्षिप्त विवरण—

आज दिनांक 19.12.2020 को थाना इटियाथोक के उ०नि० सत्यनारायण मय हमराह के साथ क्षेत्रभ्रमण में रवाना थे कि मुखबिर खास की सूचना पर उक्त अभियुक्त को जगदीशपुर वृन्दावन नहर पुलिया से गिरफ्तार कर उसके कब्जे से 250 अल्प्रासेफ की टेबलेट बरामद किया गया। अभियुक्त के विरुद्ध थाना इटियाथोक में एन०डी०पी०एस० एक्ट के तहत अभियोग पंजीकृत कर माननीय न्यायालय रवाना कर दिया गया।

### गिरफ्तार कर्ता टीम—

01. उ०नि० सत्यनारायण यादव।
02. हेड का० शम्भू तिवारी।
03. का० कुशहर यादव।
04. का० अर्जुन मद्देशिया।

## सराहनीय प्रेस नोट मीडिया सेल जनपद गोण्डा दिनांक 19.12.2020

### अवैध तमंचे के साथ 01 अभियुक्त गिरफ्तार—

### गिरफ्तार अभियुक्त—

01. नीरज यादव पुत्र आज़ाराम यादव नि० भीतहरवा मौजा इटवा जनपद बलरामपुर।

### पंजीकृत अभियोग—

01. मु०अ०सं०-409/20, धारा 3/25 आर्म्स एक्ट थाना वजीरगंज जनपद गोण्डा।

### बरामदगी—

01. 01 अदद अवैध तमंचा 12 बोर मय 02 अदद जिन्दा कारतूस।

### संक्षिप्त विवरण—

जनपद गोण्डा में अपराध एवं अपराधियों के खिलाफ चलाये जा रहे अभियान में अवैध शस्त्र रखने वाले व्यक्तियों के विरुद्ध कड़ी कार्यवाही करने के निर्देश पुलिस अधीक्षक गोण्डा श्री शैलेश कुमार पाण्डेय ने जनपद के समस्त प्रभारी निरीक्षक/थानाध्यक्षों को दिये थे।

दिनांक 18.12.2020 को थाना वजीरगंज के उ०नि० श्याम सुन्दर शर्मा मय हमराह के साथ क्षेत्र भ्रमण में रवाना थे कि चनहा मोड़ के पास उक्त व्यक्ति को संदिग्ध व्यक्ति दिखने पर रोक टोक कर चेक किया गया तो अभियुक्त के

कब्जे से 01 अदद अवैध तमंचा 12 बोर मय 02 अदद जिन्दा कारतूस बरामद हुआ। अभियुक्त को थाना वजीरगंज में आर्म्स एक्ट के तहत अभियोग पंजीकृत कर माननीय न्यायालय खाना कर दिया गया।

### गिरफ्तार कर्ता टीम—

01. उ0नि0 श्याम सुन्दर शर्मा।
02. हे0का0 विजय सिंह।
03. का0 विमलेन्द्र प्रताप यादव।
04. का0 पंकज यादव।